फर्द अहकाम 50

(नियम 13)

SCMS 2020/00053 08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्री देसु

हलका भूका वगताणि पुत्र श्री साबिर खां जाति कोरवाण

निवासी भूका वगताणि

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 50 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका वगताणि ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा भूका वगताणि के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 व.फी. किस्म भूमि गै.मु. 4 गोचर पर नाजायज अतिकमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारे है पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। 11-01-2021	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु समन डिजाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

27-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर
10-2-2021	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज सिवाना ड्यूटी पर पधारे हैं पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश हो। 10-2-2021
17-2-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैरसायल को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-21 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर
22-02-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर

Scanned by CamScanner